संख्या-112/2015/1762/41-2015-307 सा0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मोटर गाडियों के क्रय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-778/21-1-1 (वाहन क्रय) नजा0-143/2014-15, दिनॉक 22.07.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मोटर गाडियों का क्रय किये जाने हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 10.50 लाख की धनराशि शासनादेश सं0 88/2015/928/41-2015-96 यो0/2014, दिनांक 21 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 21.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 10.50 लाख (रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

5. नये वाहनों के क्रय शासनादेश सं0 1/2015/403/18-2-125 (ल0उ0)/2014, दिनांक 22.05.2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-112/2015/1762(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in